

देवघर समाहरणालय  
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 874/भू अ०

दिनांक : 25/11/15

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-नवाडीह, थाना-देवघर, थाना सं०- 292, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना शंकरपुर-जसीडीह स्टेशन के बीच कॉसिंग नं०-27/C/E के स्थान पर पथ उपरी पुल (ROB) के निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-नवाडीह, थाना-देवघर, थाना सं०-292, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमीवेश 2.74 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क. सं.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (वर्गफिट)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	437	रैयती	धानी-2	0.02	भुवनेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ भुवनेश्वर प्रसाद राय पे० स्व० शारदा राय वो भोलाशंकर सिंह पे० स्व० मदन मोहन प्रसाद सिंह।	मौजा-रोहणी नं०-1 96	अर्जित दाग नं० का अंश	मौजा-रोहनी नं०-196	अर्जित दाग नं० का अंश
2	16	448	रैयती	बाड़ी-2	0.07	कमला कान्त झा वो मिथिलेश झा वो नरेश झा वो बाबुनुनु झा पे० स्व० शंकर झा।				
3	16	449	रैयती	धानी-3	0.14	तथैव।				
4	16	450	रैयती	धानी-2	0.30	तथैव।				
5	16	451	रैयती	धानी-3	0.01	तथैव।				
6	21	452	रैयती	धानी-3	0.06	सत्यदेव झा पे० स्व० शिरोमणी झा वो संतोष झा पे० स्व० विष्णु झा वो जया देवी पे० स्व० जमुना झा वो किशुन झा वो भावी झा पे० स्व० नथु झा।				
7	43	361	रैयती	धानी-3	0.15	अवधेश झा वो शिवपूजन झा वो लक्ष्मीकान्त झा पे० स्व० श्रीकान्त झा।				
8	55	496	रैयती	बाड़ी-2	0.18	(1) मनोज कुमार सिन्हा पे० स्व० नर्मदेश्वर प्र० सिन्हा वो संतोष कुमार सिन्हा वो अमर कुमार सिन्हा पे० स्व० आजाद प्र० सिन्हा-0.19½ डी०। (2) कुसुम देवी पति स्व० महेश्वर प्रसाद सिन्हा वो राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा वो टुनटुन प्रसाद सिन्हा वो कार्तिक प्रसाद सिन्हा वो नन्दु प्रसाद सिन्हा पे० स्व० महेश्वर प्रसाद सिन्हा-0.08½ डी०। (3) श्रीमति मधु देवी पे० स्व० महेश्वर प्र० सिन्हा पति नरेश प्रसाद सिन्हा-0.04 डी०। (4) कनकलता देवी पति स्व० सिधेश्वर प्रसाद सिन्हा वो कृष्ण मोहन प्रसाद सिन्हा वो संजय कुमार सिन्हा वो विजय कुमार सिन्हा वो अजय				

						कुमार सिन्हा पे० स्व० सिधेश्वर प्रसाद सिन्हा-0.12¼डी०। (5) प्राणेश कुमार सिन्हा पे० स्व० दिनेश्वर प्र० सिन्हा-0.17¼ डी०। (6) किशोर प्र० सिन्हा वो गिरधारी प्र० सिन्हा पे० स्व० जय नारायण सिन्हा-0.06¼ डी०। (7) प्रदीप कुमार सिन्हा वो प्रमोद कुमार सिन्हा पे० स्व० श्याम सुन्दर प्र० सिन्हा-0.11¼ डी०।
9	55	497	रैयती	बाड़ी-2	0.09	तथैव।
10	55	498	रैयती	मकान	0.05	तथैव।
11	55	499	रैयती	बाड़ी-1	0.06	तथैव।
12	55	500	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव।
13	55	501	रैयती	बाड़ी-2	0.19	तथैव।
14	103	501/ 612	रैयती	बाड़ी-2	0.10	तथैव।
15	55	503	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव।
16	53	363	रैयती	धानी-3	0.12	जीतन झा वो अमर नाथ झा पे० स्व० शिव प्र० झा अंस समान।
17	100	514	रैयती		0.12	जमाबन्दी रैयत साझो हजरार्इन वो मो० जमनी हजरार्इन जौजे जवाहीर हजरा।
18	100	515	रैयती	बाड़ी-1	0.24	तथैव।
19	68	515/ 603	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव।
20	80	505	रैयती	बाड़ी-2	0.06	संजय कुमार पे० स्व० विष्णु झा वो जाया देवी वो किशन झा वो भाभी झा पे० स्व० नथु झा।
21	80	508	रैयती	बाड़ी-1	0.02	तथैव।
22	80	504	रैयती	धानी-3	0.10	तथैव।
23	80	509	रैयती	बाड़ी-2	0.22	तथैव।
24	15	355	रैयती	धानी-3	0.05	अवधेश कुमार झा वो शिवपूजन झा वो लक्ष्मीकान्त झा पे० स्व० श्रीकान्त झा वो उषा देवी वो किशोर झा वो परमीला देवी वो मुन्नी देवी वो नरेन्द्र झा वो विरेन्द्र झा पे० स्व० राधेश्याम झा वो कुन्दन झा माता स्व० बबीता देवी वो दिलीप झा पे० स्व० जयन्ती झा।
25	16	524	रैयती	बाड़ी-2	0.26	(1) रविशंकर झा वो रामकृष्ण झा पे० स्व० हरेन्द्र झा वो सच्चिदानन्द झा पे० स्व० विद्यानन्द झा। (2) नरेश साह वो गणेश साह वो शंभू साह वो दीनदयाल साह पे० स्व० अंछु साह वो राधे साह पे० स्व० डोमन साह वगैरह।
कुल रकवा-					2.74	

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।



भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।



18/11/17  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 874/ भू अ०, देवघर, दिनांक 25/11/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।



18/11/17  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।